(5)

तारीख	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू मुकदमा न. 124/2016 उनवान रामकुमार बेनीवाल बनाम रामेश्वर वगैरह दावा बाबत बंटवारा एवं घोषणा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2018	वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी वाद दिनांक 11.02.2017 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुंझुनू को मौका कमिश्नर नियुक्त कर ग्राम खिदरसर तहत तहसील झुंझुनू में स्थित कृषि भूमि खसरा न. 265 तादादी 0.05 हैक्टर, खसरा न. 266 तादादी 3.92 हैक्टर व खसरा न. 266/994 तादादी 0.01 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.98 हैक्टर मे से वादी रामकुमार को हक हिस्सा 0.6520 हैक्टर भूमि का पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार झुंझुनू को 500 रूपये मौका फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर वादी के घोषित हक हिस्से बाबत मौके पर भौतिक रूप से बंटवारा कर बंटवारे का प्रस्ताव 7 दिवस में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। तहसीलदार झुंझुनू ने अपना पत्र क्रमांक राजस्व/2018/631/दिनांक 05.02.2018 को विभाजन प्रस्ताव पेश किया। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार करने करने की सहमति व्यक्त की। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार है। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः **आदेश** वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि व लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के नियम 62 के अनुसार निम्न नम्बरान को संशोधित कर नक्शा ट्रेस मे तरमीम व राजस्व रिकार्ड मे मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया। (अलका बिश्नोई) उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू (राजस्थान)	

Scanned by CamScanner